UPHR040282732022

न्यायालय- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-02, हरदोई।
मु०नं० 22547/2022
मु०अ०सं० 287/2022
उ०प्र० राज्य बनाम गोलू आदि
धारा- 34,323,504,506,427 IPC
थाना- कछौना, हरदोई।

दिनांक 26.06.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-320 दं०प्र०सं० पर सुना जा चुका है। वादी मुकदमा हरिनाम द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 28.05.2025 अन्तर्गत धारा 320 दं०प्र०सं० प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि हम लोगों के मध्य सुलह हो गयी है अब हम लोगों के मध्य कोई विवाद शेष नहीं है। समझौते के माध्यम से अपराध को शमन कराने की याचना किया गया है।

दौरान मुकदमा अभियुक्त गोलू उर्फ नीरज कुमार की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध वादी की कार्यवाही दिनांक 21.04.2025 को उपशमित की जा चुकी है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा स्वयं मुकदमा नहीं लड़ना चाहता है तथा उभय पक्षों के मध्य आपस में सुलह हो गयी है।

चूंकि परीक्षित साक्षी/मुकदमा वादी ने यह स्वीकार किया है कि उभयपक्षों के मध्य सुलह हो गयी है। सुलह के आधार पर मामले को शमन किया जाना न्यायोचित होगा। **माननीय उच्च न्यायायल पंजाब ने 2007(3) क्रि.री. कुलवन्दर सिंह व अन्य बनाम एस.पंजाब व अन्य** में यह अवधारित किया है कि समस्त आधुनिक समाज में सामंजस्य बनाये रखने के लिये समझौता एक अनिवार्य शर्त है। धारा 323, 427, 504 भा०दं०सं० शमनीय प्रकृति की धाराएं हैं एवं धारा 506 भा०दं०सं० का शमन न्यायालय की अनुमति से किया जा सकता है। धारा 320 दं०प्र०सं० की उपधारा (3) के प्रकाश में धारा 34 भा०दं०सं० का शमन भी उपरोक्त धाराओं के साथ किया जाता है। उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय की राय अभियुक्तगण को मु०अ०सं० 287/2022, अन्तर्गत धारा- 34,323,504,506,427 IPC के अपराध के आरोप में धारा -320 दं०प्र०सं० के प्रावधानों के अन्तर्गत दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र दिनांकित 28.05.2025 अन्तर्गत धारा-320 दं०प्र०सं० स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण **रामलखन, जोगेन्द्र, धर्मवीर, रामू, मोनू, सोनू** एवं **संजय** को मु०अ०सं० 287/2022, अन्तर्गत धारा- 34,323,504,506,427 IPC के आरोप में धारा- 320 दं०प्र०सं० के प्रावधानों के अन्तर्गत दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है उनके जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके दाखिलों से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(काव्या सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या-02, हरदोई।
जे०ओ० कोड- यू०पी० 2433